Module : 5

विद्यालय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए मौजूदा शैक्षणिक कार्यक्रम एवं योजनाएं

• डॉ. शालिनी प्रसाद • डॉ. सुनीता सिंह

एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है, जहाँ एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण उपलब्ध होता है, जहाँ सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं और जहाँ सीखने के लिए अच्छे आधारभूत ढांचे एवं उपयुक्त संसाधन उपलब्ध रहते हैं। ये सब प्राप्त करना प्रत्येक शिक्षा संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए। साथ ही विभिन्न संस्थानों के बीच तथा शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर परस्पर सहज 'जुड़ाव और समन्वय' आवश्यक है।

"A good education institution is one in which every student feels welcomed and cared for, where a safe and stimulating learning environment exists, where a wide range of learning experiences are offered, and where good physical infrastructure and appropriate resources conducive to learning are available to all students. Attaining these qualities must be the goal of every educational institution., However, at the same time, there must also be seamless integration and coordination across institutions and across all stages of education".

विद्यालय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए मौजूदा शैक्षणिक कार्यक्रम एवं योजनाएं

शिक्षा विकास और प्रगति की आधारशिला है और देश के भविष्य को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच प्रदान करने के लिए बिहार सरकार ने शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों को समर्थन देने के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रही है। इनका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण शिक्षा के बीच अंतर को पाटने, वंचित छात्रों के उत्थान और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है। इन कल्याणकारी योजनाओं के संचालन में विद्यालय प्रधान की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उद्देश्य:

1. विद्यालय प्रधान का सरकार द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम एवं योजनाओं से अवगत होना।
2. शैक्षणिक कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में विद्यालय प्रधान की भूमिका समझ पाना।
3. विद्यालय के छात्र/छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को इन कार्यक्रमों एवं योजनाओं के बारे में जागरूक कर पाना।

मुख्यमंत्री बालक/बालिका साइकिल योजना

वर्ष 2007-2008 में कक्षा 9 की बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना शुरू की गयी थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर मुख्यधारा में जोड़ना तथा उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। योजना की सफलता को देखते हुए वर्ष 2009-10 से बालकों के लिए भी मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना लागू की गई।

इस योजना के अंतर्गत राज्य के राजकीय/राजकीयकृत, प्रोजेक्ट (उत्क्रमित सहित)/मान्यता प्राप्त

अल्पसंख्यक/अनुदानित प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं कक्षा में अध्ययनरत् सभी कोटि के छात्र एवं छात्राओं को साईकिल क्रय के लिए 3000 रुपए की दर से राशि उपलब्ध कराई जाती है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाता में हस्तांतरित की जाती है। इस योजना का लाभ उन विद्यार्थियों को मिलता है जिनकी उपस्थिति विद्यालय में 30 सितम्बर तक 75 प्रतिशत रहती है।

मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना

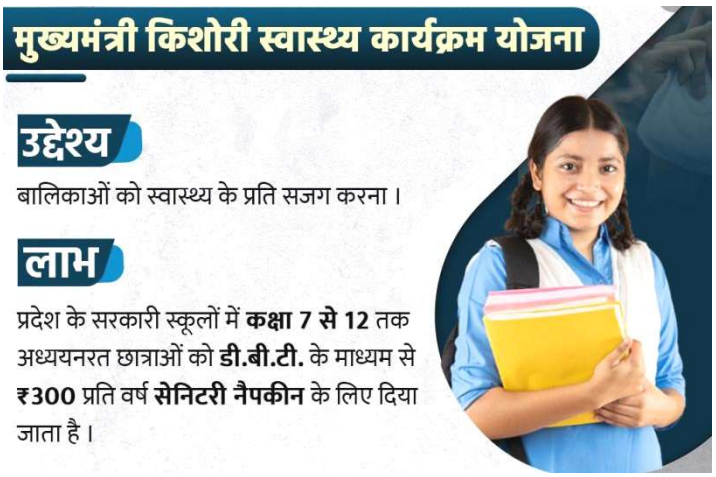

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य बालिकाओं को स्वास्थ्य के प्रति सजग करता है। इस योजना के अन्तर्गत सरकारी विद्यालयों में वर्ग 7वीं से 12वीं तक अध्ययनरत् सभी कोटि की छात्राओं को प्रत्येक वर्ष 300 रुपए की राशि सेनेटरी नैपकिन खरीदने के लिए दी जाती है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाता में हस्तांतरित की जाती है। योजना का लाभ उन छात्राओं को मिलता है जिनकी उपस्थिति 30 सितम्बर तक 75 प्रतिशत रहती हैं।

मिशन दक्ष कार्यक्रम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर जोर देती है कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान जीवन पर्यन्त सीखने का आधार होता है। यदि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बुनियादी कौशलों जैसे बोलना, समझकर पढ़ना, लिखना, सामान्य गणितीय संक्रियाएँ आदि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो परिणामस्वरूप आगे की कक्षाओं में बढ़ते पाठ्यक्रम की जटिलताओं के कारण वे विद्यालय से छीजित हो जाते हैं अथवा अपने स्तर से नीचे छूट जाते हैं। बीच में विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने एवं कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धि में सुधार हेतु बिहार सरकार ने 1 दिसम्बर 2023 को मिशन दक्ष कार्यक्रम की शुरूआत की है।

मिशन दक्ष (DAKSH- Dynamic Approach for Knowledge and Skill Harmonization) का ध्येय दसवीं कक्षा तक ड्रॉप-आउट को नगण्य करना है। यह अनवरत् अर्थात् लगातार चलता रहेगा जब तक मिशन का ध्येय प्राप्त न हो जाए। मिशन के क्रियान्वयन के निम्नलिखित तीन चरण होंगे:-

पहला चरण

इस चरण में राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के ऐसे सभी विद्यार्थियों को चिह्नित किया जाना है जो:-

1. हिंदी के कुछ वाक्य धाराप्रवाह नहीं पढ़ सकते हैं।
2. हिंदी के कुछ वाक्य धाराप्रवाह नहीं लिख सकते हैं।
3. मौलिक गणित में सक्षम न हो।
4. अंग्रेजी वर्णमाला को पहचानने में सक्षम न हो।

द्वितीय चरण

सभी प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यालय गतिविधि समाप्त होने के पश्चात् (अपराह्न 03 बजे के बाद) अथवा भोजनावकाश के बाद इन चिह्नित विद्यार्थियों की विशेष कक्षाएँ होती हैं, जिसमें संबंधित विद्यालय के शिक्षक/शिक्षिका उन्हें पढ़ाते हैं। प्रारंभिक विद्यालयों के इन शिक्षकों का दायित्व है कि वे ऐसे पाँच छात्रों को adopt करें और उन्हें उस कक्षा के योग्य बनाएं, जिस कक्षा में वे तकनीकी रूप से नामांकन कराए हुए हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए यह अनुपात सुनिश्चित करना होगा कि एक शिक्षक/शिक्षिका पाँच से अधिक विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाएं।

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के शिक्षकों को भी अपने पोषक क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों में जाकर पाँच-पाँच बच्चों की विशेष कक्षाएं प्रतिदिन लेनी है। इस मिशन में टोला सेवकों को भी पाँच-पाँच कमजोर विद्यार्थी सौंपे जाने हैं। साथ ही उन्हें इस मिशन से संबंधित बच्चों को शिक्षकों तक पहुंचाने का दायित्व भी सौंपा गया है। इन बच्चों को पढ़ाने हेतु मॉड्यूल निर्माण में DIET, PTEC, BIET एवं CTE की मदद ली जानी है। इन संस्थानों में पढ़ रहे डी.एल.एड./बी.एड. के विद्यार्थियों को भी कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस मिशन के तहत ICT@ School के अंतर्गत जो ICT Instructor रखे गए हैं उन्हें भी कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

यह विशेष कक्षाएँ वार्षिक परीक्षा (मार्च 2024) के ठीक पहले यानि लगभग 15 मार्च 2024 तक चलेगी। अकादमिक सत्र 2024-25 हेतु विशेष कक्षाएँ 01 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होकर लगातार अगले वर्ष 15 मार्च 2025 तक चलेगी।

तृतीय चरण

अकादमिक सत्र (2023-24) की वार्षिक परीक्षा में ये 25 लाख चिह्नित विद्यार्थी भी शामिल होंगे। तत्पश्चात् इन सभी बच्चों की जिला स्तर पर अलग से एक परीक्षा ली जाएगी जो अप्रैल 2024 अथवा ग्रीष्मावकाश में आयोजित होगी। यह परीक्षा जिला स्तर पर डायट/बाईट/पीटीईसी/सीटीई में रखी जाएगी। परीक्षा में बच्चों की सफलता या असफलता के लिए संबंधित शिक्षक, शिक्षिकाओं एवं प्रधानाध्यापक को जिम्मेदार माना जाएगा। राज्य स्तर पर मिशन का संचालन एवं अनुश्रवण करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है।

जननायक पुस्तकालय एवं राज्य डिजिटल अध्ययन केन्द्र

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, पटना अंतर्गत जननायक पुस्तकालय एवं राज्य डिजिटल अध्ययन केन्द्र में सिविल सेवा, मेडिकल, जे.ई.ई. एवं आई.टी.आई. बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण (कोचिंग) करायी जाती है।

जननायक पुस्तकालय एवं राज्य डिजिटल अध्ययन केन्द्र में 60-60 (कुल-120) छात्र/छात्राओं के दो बैच संचालित होंगे। प्रशिक्षण अवधि 12 माह है।

छात्र/छात्रा की पात्रता:-

- बिहार राज्य के स्थायी निवासी हो।
- पिछड़ा वर्ग अथवा अति पिछड़ा वर्ग के सदस्य हो।
- छात्र/छात्रा अथवा उनके अभिभावक की अधिकतम वार्षिक अद्यतन आय सभी स्रोतों को मिलाकर 300000 होनी चाहिए।

छात्र/छात्रा की आयु सीमा एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित कोर्स के अंतर्गत होने वाली

प्रतियोगिता परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता के अनुरूप होनी चाहिए। उपलब्ध सीटों में पिछड़ा वर्ग के लिए 40 प्रतिशत एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए 60 प्रतिशत सीट अनुमान्य है।

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 02 अक्टूबर 2016 को विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरूआत की। इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के मूल निवासी वैसे विद्यार्थी जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो तथा उच्च शिक्षा हेतु ऋण लेना चाहते हों, उन्हें बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के द्वारा राज्य के उच्च शिक्षा में नामांकन दर का प्रतिशत भी बढ़ाया जा सकेगा। योजना का लाभ पाने के लिए आवश्यक शर्तें निम्नवत् हैं:-

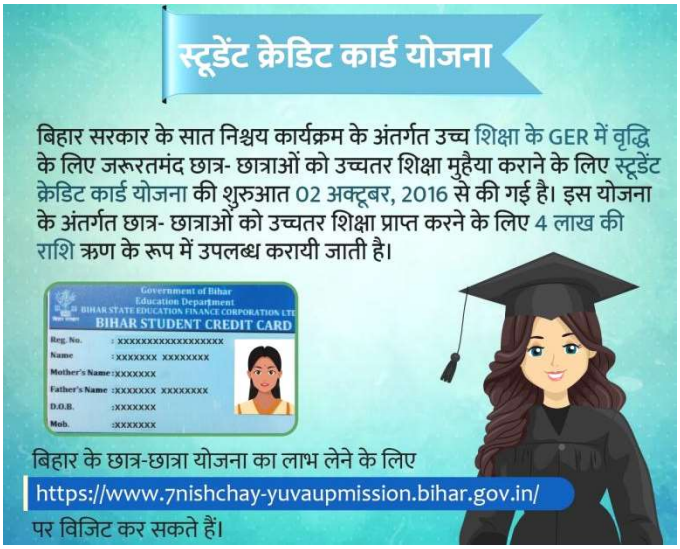

- आवेदक ने बिहार अथवा अन्य राज्य/केन्द्र सरकार के संबंधित नियामक एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा हेतु नामांकन लिया हो या नामांकन के लिए चयनित हो।
- बिहार राज्य का निवासी हो एवं राज्य में अवस्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 12वीं अथवा समकक्ष उत्तीर्ण हो।
- आवेदक को किसी अन्य स्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृत्ति/स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड/शिक्षा ऋण या किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं हो।
- यह ऋण उच्च शिक्षा के सामान्य पाठ्यक्रमों एवं विभिन्न व्यावसायिक/ तकनीकी पाठ्यक्रमों यथा- बी.ए./बी.एस.सी./इंजीनियरिंग/एम.बी.बी.एस./प्रबंधन/विधि आदि के लिए दी जा सकेगी।
- आवेदन की तिथि को आवेदक की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं हो। स्नातकोत्तर स्तर के वैसे निर्धारित पाठ्यक्रम जिनमें नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण है, के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष होगी।

इस योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण अधिकतम चार लाख रुपए तक स्वीकृत की जाएगी। इस ऋण राशि पर अधिस्थगन अवधि जो कि पाठ्यक्रम समाप्ति से एक वर्ष तक अथवा आवेदक के नियोजित होने के अधिकतम 6 माह (जो सबसे पहले हो) तक ब्याज की राशि देय नहीं होगी। इस ऋण राशि पर साधारण ब्याज की दर 4 प्रतिशत होगी। इसके अंतर्गत महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेन्डर आवेदकों को मात्र 1 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना

(सामान्य कोटि वर्ग 01 से 08)

इस योजना के अंतर्गत ;

(i) वर्ग 01 से 04 तक के अध्यनरत सामान्य कोटि के छात्र-छात्राओं को जिनकी उपस्थिति विद्यालय में 30 सितंबर तक 75 प्रतिशत रहती है,तो उन्हें DBT के माध्यम से मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना हेतु ₹600 मात्र की राशि

(ii) वर्ग 05 से 06 मे अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना हेतु ₹1200 मात्र की राशि, तथा

(iii) वर्ग 07 से 08 तक के अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं को पोशाक क्रय हेतु 18 00/- रुपए मात्र की राशि लाभुक के खाते में हस्तांतरित की जाती है।

मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना

(सामान्य कोटि वर्ग 09 एवं 10)

इस योजना के अंतर्गत वर्ग 09 से 10 में अध्यनरत सामान्य कोटि के छात्र-छात्राओं को जिनकी उपस्थिति विद्यालय में 30 सितंबर तक 75 प्रतिशत रहती है, उन्हें DBT के माध्यम से मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना हेतु 18 सो रुपए मात्रा की राशि लागू के खाते में हस्तांतरित की जाती है।

मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना

(अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति कोटि)

इस योजना के अंतर्गत

(i) वर्ग 01 से 04 तक के अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के छात्र-छात्राओं को जिनकी उपस्थिति विद्यालय में 30 सितंबर तक 75 प्रतिशत रहती है, उन्हें DBT के माध्यम से मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना हेतु ₹600/- मात्र की राशि एवं

(ii) वर्ग 05 से 06 तक के अध्ययनरत सभी छात्र- छात्राओं को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ₹1,200 रुपए मात्र की राशि तथा

(iii) वर्ग 07 से 08 तक की अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ₹1,800/- रुपए मात्र की राशि लाभुक के खाते में DBT के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है।

राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना
(National Means Cum Merit Scholarship NMMSS)

इस योजना के अंतर्गत वर्ग 08 वी में अध्ययनरत वैसे छात्र/छात्रा जिनके द्वारा राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना प्रतियोगिता उत्तीर्ण की जाती है, उन्हें कक्षा 9 से 12 तक में कुल ₹ 12,000/- रुपए मात्र की राशि सालाना छात्रवृत्ति के रूप में हस्तांतरित की जाती है। यह परीक्षा प्रत्येक वर्ष राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना, बिहार द्वारा संचालित की जाती है। परीक्षा हेतु अखबारों में विज्ञापन निकाला जाता है। यह परीक्षा प्रायः नवंबर से जनवरी के बीच संचालित की जाती है। परीक्षार्थियों को राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना, बिहार की वेबसाइट-https://scert.bihar.gov.in पर ऑनलाईन फॉर्म भरना होता है। यह फॉर्म निःशुल्क भरा जाता है।

मुख्यमंत्री बालक / बालिका प्रोत्साहन योजना
(सामान्य / पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति)

इस योजना के अंतर्गत

(i) प्रथम श्रेणी से 10वीं वर्ग उत्तीर्ण सामान्य वर्ग / पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के छात्र- छात्राओं को ₹10,000/- मात्र की राशि DBT के माध्यम से लाभुक के खाते में हस्तांतरित की जाती है एवं

(ii) द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कोटि के छात्र- छात्राओं को ₹8,000/- मात्र की राशि DBT के माध्यम से लाभुक के खाते में हस्तांतरित की जाती है।

मुख्यमंत्री मेधावृत्ति बालिका योजना

इस योजना के अंतर्गत

(i) 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को ₹15,000/- मात्र की राशि एवं

(ii) 12वीं कक्षा में द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को ₹10,000/- मात्र की राशि DBT के माध्यम से लाभुक के खाते में हस्तांतरित की जाती है।

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

(इंटर स्तरीय)

इस योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण सभी कोटि की अविवाहित छात्राओं को ₹ 25,000/- मात्र की राशि DBT के माध्यम से उनके खाते में हस्तांतरित की जाती है ।इस योजना के अंतर्गत मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर छात्राओं द्वारा निबंधन किया जाता है ।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना

भारत में केंद्र सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत बालिकाओं की समुचित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत देशभर में आवासीय विद्यालय खोले गये जिसमें बिहार में भी इस विद्यालयों को संचालित करने का निर्णय लिया गया । इन विद्यालयों में कम से कम 75 प्रतिशत सीटे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों की बालिकाओं के लिए आरक्षित है। शेष 25 प्रतिशत सीटें गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं के लिए है। बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं अभियान को सार्थक बनाने के लिए राज्य में कुल 636 कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं जिनमें कक्षा 06-08 तक के विद्यालयों की संख्या 449 है, कक्षा 06-12 के विद्यालयों की संख्या 86 हैं तथा कक्षा 09-12 के विद्यालयों की संख्या 101 है। इन विद्यालयों में वंचित समूहों की लगभग 50,000/- बालिकाएँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर रही हैं।

***

MCQ (Multiple Choice Questions):-

प्रश्न 01 -बिहार सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सी योजना आती है-

a. स्टूडेंट मेधा योजना

b. मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना

c. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

d. स्टूडेंट डेविट कार्ड योजना

प्रश्न 02- मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना (SC/ST) के अंतर्गत वर्ग 05-06 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को ..... रुपये मात्र की राशि दी जाती है-

a. रुपये 700

b. रुपये 800

c. रुपये 1100

d. रुपये 1200

प्रश्न 03- सभी योजनाओं में राशि प्रदान करने हेतु किस माध्यम से लाभुकों के खाते में राशि हस्तांतरित की जाती है-

a. नकद

b. DBT के द्वारा

c. RTGS के द्वारा

d. चेक के द्वारा

प्रश्न 04 - राष्ट्रीय आय सह मेघावृत्ति योजना की परीक्षा किस कक्षा के छात्र-छात्राओं के लिए आयोजित की जाती है-

a. कक्षा 06

b. कक्षा 07

c. कक्षा 08

d. कक्षा 09

प्रश्न 05 - मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत अविवाहित कन्याओं को कितनी राशि इंटर उत्तीर्ण होने के पश्चात् प्रदान की जाती है-

a. 25000/- रु. मात्र

b. 30000/- रु. मात्र

c. 15000/- रु. मात्र

d. 20000/- रु. मात्र

प्रश्न 06 - मुख्यमंत्री बालक- बालिका साईकिल योजना के अंतर्गत किस कक्षा के छात्र-छात्राओं को साईकिल क्रय हेतु राशि प्रदान की जाती है-

a. कक्षा- 06

b. कक्षा- 07

c. कक्षा- 08

d. कक्षा- 09

***

डिजाइन एवं ग्राफिक्स : रवि रौशन कुमार